179

-1.

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र. क्र. रिव्यू/ /2010 रिव्यू – 1185-3/2010

1– सुदामाप्रसाद पुत्र मनसुखलाल दुबे तहसील गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर म0प्र0

2. महेशप्रसाद पुत्र मनसुखलाल दुबे निवासी ग्राम कमोदी तहसील गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर म0प्र0 ....प्रार्थीगण

बनाम

गौरीशंकर पुत्र मनसुखलाल दुबे निवासी ग्राम कमोदी तहसील गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर म0प्र0 ....प्रतिप्रार्थी

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत माननीय श्री विनय शुक्ला सदस्य के प्रकरण कमांक 1498/पी0बी0आर0/2007 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2010 के निर्णय के विरूद्ध पुर्नराअवलोकन

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों का पुर्नराअवलोकन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, ग्राम कमोदी तहसील गोटेगॉव में स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 23/1 रकवा 2.534 हे0, सर्वे कमांक 125 रकवा 0.114 हे0, सर्वे कमांक 128/12 रकवा 0.187 हे0 कुल रकवा 2.735 हे0 पर प्रार्थी ने छबरानी बाई द्वारा प्रार्थीगणों के हक में की गयी वसीयतनामा दिनांक 25.01.1999 के आधार पर नामांतरण कराने हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । तहसीलदार गोटेगॉव द्वारा वसीयतनामा का परीक्षण करने के पश्चात उक्त भूमि पर प्रार्थीगणों का नामांतरण स्वीकार किया गया उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिप्रार्थी ने अनुविभगीय अधिकारी की न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 31.03.2005 को निरस्त हुयी उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिप्रार्थी ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त संभाग जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो दिनांक 29.04.2006 को खारिज हुयी उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिप्रार्थी कमांक–1 ने श्रीमानजी की न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की । श्रीमानजी के न्यायालय में लंबित निगरानी के बीच प्रतिप्रार्थी कमांक –1 की मृत्यु हो गयी । प्रतिप्रार्थी कमांक –1 के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिये बगैर ही तथा प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किये बगैर ही तथा प्रस्तुत रिकॉर्ड के विपरीत अन्य न्यायालय में पारित आदेश को आधार मानकर प्रतिप्रार्थी की निगरानी स्वीकार करने का जो आदेश इस

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

118 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.1354-तीन/10 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-7-16	आवेदक अभि. श्री जगदीश श्रीवास्तव उप.। आवेदक अभि. द्वारा निवेदन किया गया कि पक्षकार से पैरवी हेतु कोई निर्देश प्राप्त न होने से प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। आवेदक अभि. का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण इसी स्तर पर Not Press में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	[illegible] पैरवी नहीं है (हस्ताक्षर) 22/6/18